संख्या-ए-790/तीन-2008-7(23)/73

प्रेषक,

के0के0सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ:दिनाक: 10 फरवरी,2009

विषय:- **विदेशों को भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-ए-497/तीन-2005-7(2)/73, दिनांक 10-10-2005 एवं शासनादेश संख्या-ए-730/तीन-2008-7(23)/73, दिनांक 21-11-2008 जिसमें विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों यथा जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, पावर आफ एटार्नी एवं शपथ पत्र के सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से सम्प्रति उपरोक्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाता है जबकि शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमाण पत्र सत्यापन संबंधी प्रकरण संवेदनशील होते है अतः शासन के सत्यापनार्थ प्रेषित किये जाने वाले प्रमाण पत्रों के संबंध में निम्न प्रक्रिया/ कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं इससे जनसामान्य को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

(1) जिला स्तर से शासन के सत्यापनार्थ भेजे जाने वाले प्रमाण पत्र के साथ आवेदक के प्रार्थना पत्र की एक प्रति तथा सत्यापित किये जाने वाले प्रमाण पत्रों की दो-दो छाया प्रति सक्षम प्राधिकारी द्वारा शासनादेशों के निर्देशों के अनुसार सत्यापित करके संलग्न की जाये। तथा जिलाधिकारी के आवरण पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि आवेदक का विदेश जाने का क्या प्रयोजन है?

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) जिला स्तर पर जिस प्रकार अन्य कार्यों के लिए काउन्टर निर्धारित किये गये है उसी प्रकार से विदेशों को भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु भी काउन्टर का निर्धारण कर दिया जाए साथ ही उस काउन्टर पर जनसाधारण को अपेक्षित जानकारी हेतु सूचनाए भी उपलब्ध हो।

(3) शासन के सत्यापनार्थ भेजे जाने वाले प्रमाण पत्र की सत्यता की जाच जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कराये जाने एवं सत्यता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही जिला मजिस्ट्रेट स्वयं अथवा उनके द्वारा इस कार्य के लिए नामित अधिकारी (कम से कम अपर जिला मजिस्ट्रेट स्तर का) द्वारा **"सत्यापित"** शब्द लिखकर स्पष्टपूर्ण हस्ताक्षर किये जाये एवं नाम व पदनाम की मुहर लगायी जाए,साथ में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की मुहर भी लगायी जाये।

(4) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापनार्थ नामित किये जाने वाले अधिकारी के पूर्ण नमूना हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। जब भी नामित अधिकारी के स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को नामित किया जाये तो उसके पूर्ण नमूना हस्ताक्षर तत्काल सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराये जाये। कृपया नमूना हस्ताक्षर भिजवाये बिना कोई प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु न भेजे, क्योंकि हस्ताक्षर के नमूने की उपलब्धता के अभाव में शासन स्तर से सत्यापन सम्भव न होगा।

(5) किसी भी प्रमाण पत्र को जिलाधिकारी के अग्रसारण पत्र के बिना न भेजा जाय। समस्त प्रमाण पत्र यथासंभव रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा ही शासन को उपलब्ध कराये जायें।

(6) अभिलेखों का सत्यापन यथा सम्भव शीघ्रता से कराये जाने हेतु यह आवश्यक है कि जिला प्रशासन के अधिकारी ऐसे प्रकरणों पर व्यक्तिगत ध्यान रखें ताकि इस विषय में जिला स्तर पर अपेक्षित अन्य औपचारिकतायें न्यूनतम समया वधि में पूर्ण कर ली जाये। औपचारिकताओं की पूर्ति किये बिना प्रमाण पत्र शासन को संदर्भित करने में उनको पुनः जिलाधिकारी कार्यालय को वापस करना पड़ता है, इससे जहां समय नष्ट होता है,अनावश्यक एवं अवांछित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पत्राचार करना पडता है, वहीं आम जनता को भी समस्या होती है। तथा शासन/ प्रशासन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(7) इस संबंध में आपकी सुविधा हेतु एक चेक लिस्ट संलग्न की जा रही है। कृपया कोई भी प्रमाण पत्र को सत्यापनार्थ प्रेषित करने से पूर्व चेक लिस्ट के अनुसार औपचारिकताओं की पूर्ति होना अवश्य सुनिश्चित कर लें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक: चेक लिस्ट
प्रार्थना पत्र का प्रारूप

भवदीय,
(के0के0सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विदेशों को भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों को सत्यापनार्थ शासन को प्रेषित करने हेतु चेक लिस्ट

1- प्रमाण पत्र सत्यापित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के नमूना हस्ताक्षर (सी0डी0 सहित) सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया जाए।

2- प्रमाण पत्र की सत्यता गहराई से जाच कराकर सुनिश्चित कर ली जाये।

3- प्रमाण पत्र पर **"सत्यापित"** शब्द लिखकर स्पष्ट हस्ताक्षर तथा नाम/पदनाम की मुहर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की मुहर लगायी जाये।

4- विवाह प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र आदि इसी प्रकार के प्रमाण पत्र, जिनमें विधिक पहलू भी अन्तग्रस्त रहते है, के संदर्भ में ये सुनिश्चित किया जाय:-

(क) प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया जाये।

(ख) यदि कोई नागरिक सत्यापन संबंधी अपने मूल प्रमाण पत्रों को अपने पते पर सीधे मगाना चाहता है तो जिलाधिकारीगण उसकी मंशा को ज्ञात करके शासन को भेजे जाने वाले प्रत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करेगें।

5- प्रमाण पत्र जिलाधिकारी के अग्रसारण पत्र के साथ भेजा जाये।

6- अग्रसारण पत्र में आवेदक के विदेश जाने के प्रयोजन का उल्लेख किया जाये।

7- अग्रसारण पत्र के साथ जनसामान्य द्वारा दी जाने वाले प्रार्थना पत्रों के प्रारूप/सामग्री उपलब्ध करायी जाये। (प्रारूप पत्र संलग्न)

8- जनसामान्य द्वारा दिये जाने वाले प्रार्थना पत्रों पर उनके दूरभाष/मोबाईल नम्बर का उल्लेख किया जाये, जिससे कमी होने पर उन्हें अवगत कराया जा सके।

9- प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा ही प्रेषित किया जाये।

10- जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में रजिस्टर के पन्ने की प्रति, जिसमें उक्त का अंकन दर्ज हो। यदि जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र पर रजिस्टर का क्रमांक अंकित है तो यह आवश्यक नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in